भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2880
दिनांक 10.03.2026 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं

†2880. डॉ. गुम्मा तनुजा रानीः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में भाग लेने वाली महिलाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व की भूमिका बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पंचायती राज संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाने में महिलाओं को किन्हीं बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त चुनौतियों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण के लिए क्या पहल की गई हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह)

(क) पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में भाग लेने वाले महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** पर रखा है।

(ख) से (ङ) "पंचायत**,** "स्थानीय सरकार" होने के कारण**,** राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची का एक हिस्सा है। पंचायतों की स्थापना और संचालन**,** भारत के संविधान के प्रावधानों के अधीन**,** संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से किया जाता है। इसलिए**,** पीआरआई में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व भूमिकाओं को बढ़ाने सहित पंचायत से संबंधित सभी कार्य राज्य सरकार के दायरे में आते हैं।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 243घ 'प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या' और 'प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या' में से पीआरआई में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण प्रदान करता है। हालांकि, 21 राज्य अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल तथा 2 संघ

राज्य क्षेत्र अर्थात् लक्षद्वीप और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव इससे भी आगे बढ़ गए हैं और अपने संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों/ नियमों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% तक के आरक्षण का प्रावधान किया है, जिससे जमीनी स्तर के शासन में बढ़ती भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके।

पंचायती राज मंत्रालय ने मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2022-23 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (डब्ल्यूईआर), पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है, ताकि वे नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए अपनी शासन क्षमताओं का विकास कर सकें और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। इस योजना के तहत,वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 तक (28 फरवरी 2026 तक) कुल 30,94,748 निर्वाचित डब्ल्यूईआर को प्रशिक्षित किया गया था। पंचायतों से संबंधित विभिन्न विषयों में वर्धित क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, सेवा वितरण प्रणाली और नेतृत्व कौशल से निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में अपने सौंपे गए कार्यों को करने में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमताएं बढ़ी हैं। जमीनी स्तर पर अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ग्रामीण शासन के विभिन्न पहलुओं पर महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जाता है।

जमीनी स्तर पर शासन में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम सभाओं से पहले महिला सभाओं को अनिवार्य कर दिया है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की थीम 9 के तहत, मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (औपचारिक रूप से जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष - यूएनएफपीए) के सहयोग से, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रति जिले एक ग्राम पंचायत को आदर्श महिला-अनुकूल ग्राम पंचायत में बदलने में मार्गदर्शन दे रहा है। इस पहल का उद्देश्य समावेशी, लैंगिक रूप से संवेदनशील शासन का मॉडल बनाना है जिन्हें पूरे देश में दोहराया जा सकता है।

मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं के महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण के लिए"सशक्त पंचायत नेत्री अभियान" के भाग के रूप में एक व्यापक विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल "बदलाव का नेतृत्व- स्थानीय सुशासन और उससे परे महिला नेतृत्व को सशक्त बनाना" लांच किया है।प्रशिक्षण मॉड्यूल का उद्देश्य ग्रामीण शासन के विभिन्न पहलुओं पर महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता का निर्माण करना है; निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से करने के लिए ज्ञान और व्यावहारिक कौशल को बढ़ाना; और प्रभावी महिला नेतृत्व वाले शासन के लिए नेतृत्व, संचार, प्रबंधकीय और निर्णय लेने के कौशल का विकास करना भी है। इस विशेष मॉड्यूल पर कुल 1,05,966 महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (28 फरवरी 2026 तक) को प्रशिक्षित किया गया है।

इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, पंचायती राज मंत्रालय ने सितंबर 2023 में एक सलाहकार समिति का गठन किया, ताकि महिला प्रधानों का प्रतिनिधित्व उनके परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा किए जाने के मुद्दे और प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व से संबंधित अन्य मुद्दों की जांच की जा सके। समिति ने फरवरी 2025 में मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सिफारिशों सहित प्रस्तुत की, जिसे मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

*****

अनुबंध

"पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं" के संबंध में दिनांक 10.03.2026 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2880 के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध

पंचायती राज संस्थाओं में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.स.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या	टिप्पणी
1	आंध्र प्रदेश	85,593	-
2	अरुणाचल प्रदेश	3,967	-
3	असम	14,693	-
4	बिहार	1,35,805	-
5	छत्तीसगढ़	98,787	-
6	गोवा	745	-
7	गुजरात	69,566	-
8	हरियाणा	32,892	-
9	हिमाचल प्रदेश	15,250	-
10	झारखंड	32,014	-
11	कर्नाटक	49,723	यह ग्राम पंचायतों का डेटा है। ब्लॉक और जिला पंचायत चुनाव वर्ष 2021 से लंबित हैं।
12	केरल	10,930	-
13	मध्य प्रदेश	2,09,041	-
14	महाराष्ट्र	14,135	336 ब्लॉक पंचायतों और 32 जिला पंचायतों में चुनाव लंबित हैं।
15	मणिपुर	शून्य	पंचायतों का कार्यकाल अक्टूबर 2022 में समाप्त हो गया। अभी तक चुनाव नहीं हुएं हैं।
16	मेघालय	लागू नहीं	संविधान के भाग- IX में शामिल नहीं है
17	मिजोरम	लागू नहीं	
18	नागालैंड	लागू नहीं	
19	ओडिशा	57,001	-
20	पंजाब	44,519	-
21	राजस्थान	6,358	-
22	सिक्किम	655	-
23	तमिलनाडु	शून्य	पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2025 में समाप्त हो गया। अभी तक चुनाव नहीं हुआ है।
24	तेलंगाना	6,298	यह ग्राम पंचायतों का डेटा है। ब्लॉक और जिला पंचायत के चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं।
25	त्रिपुरा	3,126	-
26	उत्तर प्रदेश	2,76,181	-
27	उत्तराखंड	6,366	

28	पश्चिम बंगाल	40,537	-
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	415	-
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	288	-
31	जम्मू और कश्मीर	शून्य	ग्राम पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों का कार्यकाल जनवरी, 2024 में समाप्त हो गया। जिला पंचायतों का कार्यकाल फरवरी 2026 में समाप्त हो गया। अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं।
32	लद्दाख	शून्य	पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2024 में समाप्त हो गया। अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं।
33	लक्षद्वीप	शून्य	पंचायतों का कार्यकाल दिसंबर, 2022 में समाप्त हो गया। चुनाव अभी तक नहीं हुआ है।
34	पुदुच्चेरी	शून्य	पंचायतों का कार्यकाल जुलाई, 2011 में समाप्त हो गया। चुनाव अभी तक नहीं हुआ है।

स्रोत: राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समय-समय पर पंचायती राज मंत्रालय को उपलब्ध कराया गया डेटा।